

प्रेस नोट दिनांक - 08.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा फर्जी एप एवं बेबसाइट बनाकर विभिन्न प्रकार का लालच देकर ग्राहकों से रुपयों को डॉलर में परिवर्तित करने की ठगी करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों को ठगी में प्रयुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया ।

आगामी त्यौहारो एवं त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को सकुशल संपन्न कराने एवं अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ अपराध इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी एप एवं बेबसाइट बनाकर विभिन्न प्रकार का लालच देकर ग्राहकों से रुपयों को डॉलर में परिवर्तित करने की ठगी करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों को ठगी में प्रयुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.03.2021 को थाना कोतवाली पर वादी यशोदा नन्दन उपाध्याय पुत्र नरेन्द्र पाल उपाध्याय निवासी द्वारकापुरी आगरा रोड जनपद एटा द्वारा सूचना दी गयी कि मेरे साथी मोहम्मद सामीन दीवान इंटरनेशनल में साझेदार है दिनांक 01.03.2021 को कुलजीत सिंह एवं सौरभ शुक्ला द्वार पक्का तालाब चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया था जिनके ग्लोब-पे पर मेरे मित्र को कम कीमत पर उसके साथ आनलाइन रुपए को डॉलर में परिवर्तित करने का लालच देकर 08 लाख रुपए की साइबर ठगी की गयी थी । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 93/21 धारा 406,420,467,468,471 व 66 (सी), 66 (डी) आईटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

उक्त साइबर ठगी की घटना को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली पुलिस को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त टीम बनाकर इलैक्ट्रोनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे । जिसमें आज दिनांक 08.03.2021 को पुलिस टीम द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार एवं मुखबिर की सूचना पर पक्का तालाब चौराहा के पास से 05 लोगो को गिरफ्तार किया गया था ।

पुलिस पूछताछ- पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह कई विदेशी डार्कबेव हैकर्स के संपर्क में रहते है जो उन्हें सभी साइटो के उपयोगकर्ता के नाम व पासवर्ड उपलब्ध कराते है और वह वास्तविक निवेशकों को 50 प्रतिशत की दर से विदेशी मुद्रा प्रदान करने का लालच देकर रुपयों की ठगी करते है और जाली जमा रशीद जारी करते हैं जो हुबहू वास्तविक लेनदेन की प्राप्ति की रशीद

लगती है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उनके दिनांक 01.03.2021 को दीवान इंटरनेशनल फर्म के मालिक के साथ 08 लाख रुपयों की ठगी की गयी थी। तथा अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि पूरा लेन-देन ब्लॉकचैन तकनीकी पर आधारित है एवं पुलिस निगरानी से बचने के लिए बिटकवाइन व डॉगक्वाइन जैसी क्रिप्टोकॉरेंसी का उपयोग में लाया जाता है।

पुलिस ने अभियुक्तों द्वारा की गयी ठगी के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अभियुक्तों से मिले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, एवं बैंक खातों के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कुलजीत सिंह पुत्र सरदार दर्शन सिंह निवासी 178 हरीहरगंज थाना हरीहर गंज जनपद फतेहपुर
2. सौरभ शुक्ला पुत्र विजय नारायण शुक्ला निवासी हरवंशपुर थाना सजैती जनपद कानपुर नगर।
3. राजकुमार दिवाकर पुत्र कामता प्रसाद निवासी रामनगर न्यू कालोनी थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा।
4. दीपक शर्मा पुत्र श्यामबिहारी निवासी नौरंगाबाद थाना कोतवाली इटावा
5. चरन सिंह पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी वीरनगर जनपद आगरा।

बरामदगी-

1. 01 लैपटॉप डैल कम्पनी
2. 01 टैबलेट एमआई कम्पनी
3. 04 मोबाइल फोन (वीवो)
4. 04 चैक बुक
5. 01 पासपोर्ट

पुलिस टीम-

प्रथम टीम- श्री बचन सिंह प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय टीम जनपद इटावा।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा